

## इकाई के नामान्तरण के मामलों में आवेदक द्वारा आवेदन के साथ अपलोड किये जाने वाले अभिलेखों की सूची—

1. इकाई का जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र। यदि जी0एस0टी0 नहीं है तो आवेदक/साझेदारों के शपथ पत्र
2. इकाई का लाइसेंस, समस्त पृष्ठ
3. (A)— वर्तमान लाइसेंसधारक का फोटो आई0डी0  
(B)— प्रस्तावित लाइसेंसधारक का फोटो आई0डी0
4. आवेदक/समस्त साझेदारों के डिजिटल फोटो
5. विनियर/प्लाईवुड के मामलों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अनापत्ति प्रमाण पत्र अथवा यह अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदक द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिये गये आवेदन की प्राप्ति रसीद एवं आवेदक का शपथ पत्र जिसमें यह स्पष्ट अंकित हो कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अनापत्ति प्रमाण पत्र इकाई संचालन के पूर्व प्रस्तुत कर दिया जायेगा।
6. वर्तमान एवं प्रस्तावित आवेदक/समस्त साझेदारों के अथवा उनके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध वन अपराध का केस लम्बित नहीं होने के सम्बन्ध में वर्तमान एवं प्रस्तावित आवेदक/समस्त साझेदारों के शपथ पत्र
7. फर्म की स्थिति में फर्म के रजिस्ट्रेशन का अभिलेख
8. (A)—यदि इकाई का विक्रय हुआ है तो विक्रय अभिलेख एवं  
(B)—विक्रेता का शपथ पत्र जिसमें क्रेता का नाम, पिता का नाम, पता इत्यादि का स्पष्ट उल्लेख हो एवं  
(C)—क्रेता का शपथ पत्र जिसमें विक्रेता का नाम, पिता का नाम, पता इत्यादि का स्पष्ट उल्लेख हो।
9. यदि वर्तमान स्वामी की मृत्यु के कारण नामान्तरण किया जाना है तब ऐसे स्थिति में निम्न अभिलेख अपलोड किये जायेंगे—  
(A)— मृत्यु प्रमाण पत्र  
(B)— वारिसान प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी)  
(C)— वारिसान प्रमाण पत्र में अंकित पत्नी/पति/समस्त पुत्रों/समस्त पुत्रियों के शपथ पत्र जिसमें स्पष्ट उल्लेख हो कि लाइसेंस का नामान्तरण किये जाने में उनकी सहमति है एवं उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।